

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला शाहपुरा

पीठासीन अधिकारी श्रीकान्त व्यास आर0ए0एस0

नम्बर - 353/2021 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

नाराम पुत्र रामलाल कुमावत निवासी बल्दरखां तहसील बनेड़ा।

बनाम

- 1- देबीलाल पिता नाथु भील निवासी बल्दरखां तहसील बनेड़ा।
- 2- शंकर लाल पिता छोगा भील निवासी बल्दरखां तहसील बनेड़ा।
- 3- तहसीलदार बनेड़ा। 0



-प्रार्थी

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता प्रार्थी:- के.के.जीनगर

निर्णय

दिनांक :- 01/05/2024

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज० भू० राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम बल्दरखां पटवार हल्का बल्दरखां भूअ.निरीक्षक क्षेत्र उपरेड़ा तहसील बनेड़ा में स्थित खाता सं. 588 के आराजी नम्बर 240/3, कुल किता 01 रकबा 0.1897 है० भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु सम्मन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 ग्राम बल्दरखां पटवार हल्का बल्दरखां भूअ.निरीक्षक क्षेत्र उपरेड़ा तहसील बनेड़ा में स्थित खाता सं. 588 के आराजी नम्बर 240/3, कुल किता 01 रकबा 0.1897 है० भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज होकर है। प्रार्थी अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

// आदेश //

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा-111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम बल्दरखां पटवार हल्का बल्दरखां भूअ.निरीक्षक क्षेत्र उपरेड़ा तहसील बनेड़ा में स्थित खाता सं. 588 के आराजी नम्बर 240/3, कुल किता 01 रकबा 0.1897 है० भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक उपरेड़ा को 500/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है।

उभयपक्षकारान को विधिवत नोटिस तामिल करा उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद
पत्थरगढी से पूर्व उभयपक्षकारान की लिखित सहमति प्राप्त ली जावे। लिखित सहमति
उनकी उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न की जावे अन्यथा नहीं। कमिश्नर
प्रकरण मौके पर जमा करावे। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि
प्राथीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में
उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। यदि प्राथीगण
की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन
होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावे। अतः भू0अ0निरीक्षक उपरेड़ा जो कि उक्त प्रकरण में
कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्राथीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा
मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बनेड़ा को पालना हेतु
लिखा जावे। आदेश की पालना अपील अवधि समाप्ति पश्चात ही की जावे। अपील अवधि के
भीतर आदेश की पालना नहीं की जावे।

निर्णय आज दिनांक 01-05-2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर कोर्ट मुख्यालय पर
सुनाया गया।



(श्रीकान्त व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला शाहपुरा